Point No.-1

FP/UK/VELEC/33129/2018 **EDS Date :26.06.2018**

प्रतिउत्तरः–

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अर्न्तगत तोक–पूर्ति का विद्युतीकरण कार्य किया जाना स्वीकृत है। इसके लिए 11 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण किया जाना है। विद्युत लाइन का सर्वे रूट इस प्रकार रखा गया है, कि विद्युत लाइन निर्माण में कम से कम वनभूमि आये एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। उपरोक्त के संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित व समयबद्ध योजना है जिसमें ससमय पर कार्यों का सम्पन्न होना अतिआवश्यक है वर्तमान समय में जनपद–उत्तरकाशी के मोरी–ब्लॉक के तोक–पूर्ति अभी तक अविद्युतीकृत हैं जिनमें की विद्युत लाइन किसी अन्य स्थान से ले जाना सम्भव नही है। तोक–पूर्ति का विद्युतीकरण तभी संभव है जबकि तोक–पूर्ति तक विद्युत लाइन बिछाने की स्वीकृति प्राप्त हो सके एवं तोक–पूर्ति जनपद–उत्तरकाशी के अविद्युतीकृत होने के कारण क्षेत्रीय जनता अभी तक विद्युत सुविधा से वंचित है।

उपरोक्त तोक का विद्युतीकरण अभी तक वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण अभी तक अविद्युतीकृत है, किन्तु भारत सरकार की केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है अतः वन विभाग द्वारा कार्य करने हेतु अनापत्ति दी जानी अत्यन्त आवश्यक है ताकि तोक का विद्युतीकरण किया जा सके एवं बजट का सदुप्रयोग किया जा सके।

प्रस्तावित रूट के विरूद्ध विद्युत लाइने बिछाने हेतु अन्य स्थल का भी निरीक्षण किया गया किन्तु अन्य प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग मे घना जंगल, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, कठोर चट्टाने, पानी के झरने होने के कारण तथा तीन गुना अधिक संख्या में पेडों के कटान के कारण प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग का चयन नहीं किया गया एवं प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग भी पूर्ण रूप से वन आच्छादित हैं। अतः प्रस्तावित रूट ही विद्युत लाइन बिछाने हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः उपरोक्त परियोजना में Alternative Route का चयन किया गया किन्तु उपयुक्त नहीं पाया गया, जिस कारण नैप इत्यादि की आवश्यकता नहीं है।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 0.46 हे0 की मांग की गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कब्रिस्तान आदि नहीं पड़ता है। प्रमाण पत्र पूर्व मे अपलोड कर दिया गया है।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है। प्रमाण पत्र पूर्व में अपलोड कर दिया गया है।

प्रस्तावित उपरोक्त सभी तथ्यो के मध्यनजर तोक–पूर्ति के विद्युतीकरण हेतु वन विभाग से अनापत्ति अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तावित योजना के लाभ

1. सभी घरो एवं गावों का विद्युतीकरण
2. स्कूलो, पंचायतो, अस्पतालो इत्यादि को विद्युत पहुँच।
3. ग्रामीण क्षेत्रो मे व्यापक विकास के लिये अवसरो में वृद्धि।
4. ग्रामीण क्षेत्रो में गुणवत्ता युक्त एवं निरन्तर बिजली की आपूर्ति।
5. स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर में वृद्धि होना।
6. सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को निःशुल्क विद्युत संयोजन देना।

क्रमशः.....2

Scanned by CamScanner

उपरोक्त योजना में होने वाले कार्य में बजट व्यवस्था अनुदान एवं ऋण प्रणाली के अर्न्तगत है यदि राज्य सरकार द्वारा समय पर कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है तो सम्पूर्ण धनराशि अनुदान में परिवर्तित हो जायेगी जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी एवं राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय नही आयेगा।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 0.46 हे0 की मांग की गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कबरिस्तान आदि नहीं पडता है ।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है। उपरोक्त विद्युत लाइन हेतु मात्र शून्य वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

उपरोक्त कार्य के करने से एक ओर विद्युत विहीन गांव/तोक में विद्युत कि सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना क्रान्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी ।

अतः सार्वजनिक एवं जनहित के लिए 0.46 हे0 वन भूमि विद्युत लाइन बिछाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

उपनिदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार
पुरोला, उत्तरकाशी

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार, उ0 प्र0
पुरोला, उत्तराखण्ड

ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0.
देहरादून

Scanned by CamScanner